

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर  
पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर बनाम लीलावती

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 416 सन् 2019  
RCMS No. 2019/00085

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
22.10.19	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी डॉ. सीताराम गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज के जमानती श्रीमती लीलावती पत्नी श्री प्रेमसिंह निवासी चौधरी पौठा ग्राम पिपहेरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 25.01.2018 को सी0सी0 रुपये 60,00,000/- व ट्रम रुपये 2,80,00,000/- रुपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:- व्यवसायिक एवं आवासीय भूमि व भवन खसरा नम्बर 145/2, प्लॉट 15-ए गिरीष विहार कोलोनी ओडेला रोड़ धौलपुर का कुल क्षेत्रफल 2625 स्क्वायर फीट है जो कि जमानती श्रीमती लीलावती पत्नी प्रेमसिंह के नाम से है। जिसके हद्ददअरबा निम्न प्रकार है:- पूर्व में प्लॉट नं0 15, पश्चिम में रोड़ 30, उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में ओडेला रोड़ है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 20.07.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 03.08.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 3,66,61,102.86/- रुपये मात्र दिनांक 20.07.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहे। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।</p>	<p>680-82 23/10/19</p>

(आरो के0 जायसवाल)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी व्यवसायिक एवं आवासीय भूमि व भवन खसरा नम्बर 145/2, प्लॉट 15-ए गिरीष विहार कोलोनी ओडेला रोड़ धौलपुर का कुल क्षेत्रफल 2625 स्क्वायर फीट है जो कि जगानती श्रीमती लीलावती पत्नी प्रेमसिंह के नाम से है, जिसके हद्दअरबा निम्न प्रकार है:- पूर्व में प्लॉट नं0 15, पश्चिम में रोड़ 30, उत्तर में अन्य भूमि, दक्षिण में ओडेला रोड़ है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(~~सकार~~ ~~कुमारे~~ जायसवाल)  
जिला ~~कलेक्टर~~ एवं जिला ~~मजिस्ट्रेट~~  
धौलपुर

(सहायक जिला मजिस्ट्रेट)  
धौलपुर